समक्ष मान्नीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर,कैंप सागर

R-1415-III/14

1.चन्द्रकांत तनय बलीराम चौरसिया
2.दीपक तनय बलीराम चौरसिया
3.ओम प्रकाश तनय बलीराम चौरसिया
सभी निवासी पुरव्याऊ टौरी सागर,
तह0व जिला-सागर(म0प्र0) .....आवेदकगण

//बनाम//

म0प्र0शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्र0क्र0142/अ-6वर्ष 2010-11 में पारित आदेश दिनाँक 15.01.2014 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगणों ने एक आवेदन विचारण न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार वृत्त-1 के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके पूर्वज स्व0श्री जमना प्रसाद वल्द नत्थू का नाम भूमि ख0नं0430/2 रकवा 0.45/0.182 पर राजस्व अभिलेख वर्ष 1978-79 से 1982-83 तक खसरा में रैयत मिलिकियत सरकार साकिन देह भूमिस्वामी से दर्ज चला आ रहा है उसके पूर्व वर्ष 1954-55 में आवेदकगणों के अजा का नाम भी इसी तरह से चला आ रहा था एवं आवेदकगणों के पिता एवं पूर्वज उक्त भूमि पर विधिवत् काबिज रहकर कृषि कार्य करते चले आ रहे थे किंतु वर्ष 1984-85 से वर्ष 1987-88 से उपरोक्त भूमि पर से आवेदकगणों के खसरा में भूमि स्वामी शब्द काट दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जावे।

आवेदकगणों के उक्त आवेदन पर प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध कर विधिवत् सुनवायी उपरांत शासकीय पट्टा मानते हुये आवेदकगणों

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक– निगरानी–1415–तीन / 2014 जिला–सागर

चन्द्रकांत चौरसिया आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24 –01–19	प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 04–01–2019 को आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र अहिरवार को सुना गया । 2/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र0क्र0 142 / अ–6 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15–01–2014 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण ने नायब तहसीलदार वृत्त–1, जिला–सागर के समक्ष मौजा सागर खास पटवारी हल्का नं. 65 में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 430 / 2 रकबा 0.45 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार ने दिनांक 18–02–2009 से आवेदकगण का आवेदन खारिज किया। इसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 31–05–2010 से खारिज हुई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31–05–2010 के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 15–01–2014 से अपील सारहीन होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 15–01–2014 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

24.01.19

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि मध्यप्रदेश शासन मिलिकियत सरकार दर्ज है। नजूल विभाग द्वारा वर्ष 1964 में आवेदकगण के पूर्वजों को लीज पर पट्टे पदाय किये गये थे। उक्त लीज की अवधि वर्ष 1994 में समाप्त हो चुकी है। पट्टे के नवीनीकरण बावत् प्रकरण नजूल अधिकारी कार्यालय में विचाराधीन है। इसी कारण नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किये जाने बावत् आवेदन को निरस्त किया है । नायब तहसीलदार ने विस्तृत रूप से रिकॉर्ड का अवलोकन कर आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अवैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होती । नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालय में भी स्थिर रखा गया है। ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाते है।

6/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

3

(आर.के. जैन)
सदस्य 24.01.19